

कार्यालय उप वन संरक्षक, इ.गां.न.प. स्टेज-1, छतरगढ़।

क्रमांक एफ () सर्वे/उवस-स्टेज-1/20-21/ 3775

दिनांक:- 11/11/2020

निमित्त,

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
सी 38, सादुलगंज, बीकानेर।

विषय : Diversion of 11.8259 Ha. of forest land in favour of National Highway Authority of India for upgradation to 2 lane with paved shoulder 4 lane of Khajuwala-Poogal-Section (Design Chainage 0+000 to 30+812) and Poogal-Dantor-Jaggasar-Gokul-Goddu-Ranjitpura-Charanwala-Naukh Bap Section of NH-911 (Design Chainage 1+430 to 182+725) (Total length 212.107 Km) under Bharatmala Pariyojana.

संदर्भ : भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन पंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ का पत्रांक 8बी/राज/06/29/2020/एफसी/24 दिनांक 16.10.2020 एवं आपका पत्रांक 7396 दिनांक 21.10.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सहायक वन महानिरीक्षक (केन्द्रिय) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय लखनऊ के पत्रांक 8बी./राज/06/29/2020/एफ.सी/24 दिनांक 16.10.2020 द्वारा उक्त वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण Diversion of 11.8259 Ha. of forest land in favour of National Highway Authority of India for upgradation to 2 lane with paved shoulder 4 lane of Khajuwala-Poogal-Section (Design Chainage 0+000 to 30+812) and Poogal-Dantor-Jaggasar-Gokul-Goddu-Ranjitpura-Charanwala-Naukh Bap Section of NH-911 (Design Chainage 1+430 to 182+725) (Total length 212.107 Km) under Bharatmala Pariyojana. वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु सशर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की है अतः शर्तों अनुसार निम्न बिन्दुओं की राशि जमा करवाकर सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करावे।

बिन्दु संख्या 4-प्रयोक्ता अभिकरण शुद्ध वर्तमान मूल्य(एनपीवी) राशि = $4.9453 \times 438000 = 2166045/-$ (अखरे रुपये ईक्कीस लाख छियासठ हजार पैतालीस मात्र) रुपये कैम्पा मद नई दिल्ली में जमा करावे।

बिन्दु संख्या 22-प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित सड़क परियोजना में Violated Area 0.5665 हैक्टर की Penal NPV राशि = $0.5665 \times 438000 \times 20\% = 49625/-$ (अखरे उनचास हजार छः सौ पच्चीस मात्र) रुपये कैम्पा मद नई दिल्ली में जमा करावे।

उक्त के अलावा सैद्धान्तिक स्वीकृति के शेष बिन्दुओं के बिन्दु संख्या 1, 2, 3, 5 से 21 एवं 23 से 27 की बिन्दुवार पालना सैद्धान्तिक स्वीकृति अनुसार भिजवाना सुनिश्चित करावे। प्रकरण में जमा की जाने वाली राशि ई-चालान से ऑन लाईन जमा कराई जावे।

उपरोक्त के अतिरिक्त सड़क परियोजना में आने वाले 578 पेड़ों के कटान की राशि = 500325/- रुपये एवं (अखरे पांच लाख तीन सौ पच्चीस रुपये मात्र) का Demand Draft/Cheque - उप वन संरक्षक, इ.गां.न.प. स्टेज-1, छतरगढ़ के नाम से इस कार्यालय में जमा करावे।

इसके अलावा भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक 7-23/2012- एफ. सी. दिनांक 24.07.2013 से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.) के निर्णय दिनांक 07.11.2012 की पालना में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित करवाकर समाचार पत्रों की प्रति पालना के साथ इस कार्यालय में भिजवावे, ताकि आप द्वारा प्रस्तुत पालना आगामी कार्यवाही हेतु उच्च कार्यालय को भिजवायी जा सके।

भवदीय,

(एस.के. आबूसरिया)

उप वन संरक्षक

इंगानप, स्टेज-1,

छतरगढ़

क्रमांक:- 3776-77

दिनांक:- 11/11/2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आव यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान् प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नॉडल अधिकारी, एफसीए, राजस्थान, जयपुर
2. श्रीमान् संभागीय मुख्य वन संरक्षक बीकानेर

(एस.के. आबूसरिया)

उप वन संरक्षक

इंगानप, स्टेज-1,

छतरगढ़

कार्यालय उप वन संरक्षक, इ.गां.न.प. स्टेज-II बीकानेर।

क्रमांक एफ () सर्वे/उपसं-स्टेज-II/20-21/ 5564
निमित्त,

दिनांक:- 21-10-21

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
सी 38, सादुलगंज, बीकानेर।

विषय:- Diversion of 11.8259 Ha. of forest land in favour of National Highway Authority of India for upgradation to 2 lane with paved shoulder 4 lane of Khajuwala-Poogal-Section (Design Chainage 0+000 to 30+812) and Poogal-Dantor-Jaggasar-Gokul-Goddu-Ranjitpura-Charanwala-Naukh Bap Section of NH-911 (Design Chainage 1+430 to 182+725) (Total length 212.107 Km) under Bharatmala Pariyojana.

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ का पत्रांक 8बी/राज/06/29/2020/एफसी/24 दिनांक 16.10.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सहायक वन महानिरीक्षक (केन्द्रिय) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय लखनऊ के पत्रांक 8बी/राज/06/29/2020/एफसी/24 दिनांक 16.10.2020 द्वारा उक्त वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण Diversion of 11.8259 Ha. of forest land in favour of National Highway Authority of India for upgradation to 2 lane with paved shoulder 4 lane of Khajuwala-Poogal-Section (Design Chainage 0+000 to 30+812) and Poogal-Dantor-Jaggasar-Gokul-Goddu-Ranjitpura-Charanwala-Naukh Bap Section of NH-911 (Design Chainage 1+430 to 182+725) (Total length 212.107 Km) under Bharatmala Pariyojana. वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु सशर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की है अतः शर्तों अनुसार निम्न बिन्दुओं की राशि जमा करवाकर सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करावे।

बिन्दु संख्या 3- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के दुगने अवनत वन भूमि (11.82591x2=23.65182 हैक्टर) अर्थात् 23.65182 हैक्टर पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि 23.65182x1.36830=32.36279 रुपये (अखरे बत्तीस लाख छत्तीस हजार दो सौ उनयासी मात्र) कैम्पा नई दिल्ली में जमा करावे।

बिन्दु संख्या 4- प्रयोक्ता अभिकरण शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) राशि = 6.8806x438000=3013703 (अखरे रुपये तीस लाख तेरह हजार सात सौ तीन मात्र) रुपये कैम्पा मद नई दिल्ली में जमा करावे।

बिन्दु संख्या 22- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित सड़क परियोजना में Violated Area 0.05 हैक्टर की Penal NPV राशि = 0.05x438000x20%= 4380 (अखरे चार हजार तीन सौ अस्सी मात्र) रुपये कैम्पा मद नई दिल्ली में जमा करावे।

उक्त के अलावा सैद्धान्तिक स्वीकृति के शेष बिन्दुओं के बिन्दु संख्या 1, 2, 5 से 21 एवं 23 से 27 की बिन्दुवार पालना सैद्धान्तिक स्वीकृति अनुसार भिजवाना सुनिश्चित करावे। प्रकरण में जमा की जाने वाली राशि ई-चालान से ऑन लाईन जमा कराई जावे।

उपरोक्त के अतिरिक्त सड़क परियोजना में आने वाले 480 पेड़ों के कटान की राशि = 1087038 रुपये एवं (अखरे दस लाख सतासी हजार अड़तीस रुपये मात्र) का Demand Draft/Cheque - उप वन संरक्षक, इ.गां.न.प. स्टेज-II बीकानेर के नाम से इस कार्यालय में जमा करावे।

इसके अलावा भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक 7-23/2012- एफ.सी. दिनांक 24.07.2013 से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.) के निर्णय दिनांक 07.11.2012 की पालना में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित करवाकर समाचार पत्रों की प्रति पालना के साथ इस कार्यालय में भिजवावे, ताकि आप द्वारा प्रस्तुत पालना आगामी कार्यवाही हेतु उच्च कार्यालय को भिजवायी जा सके।

भवदीय,



उप वन संरक्षक
इंगानप, स्टेज-II,
बीकानेर

दिनांक:-

क्रमांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान् प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नॉडल अधिकारी, एफसीए, राजस्थान, जयपुर
2. श्रीमान् संभागीय मुख्य वन संरक्षक बीकानेर

उप वन संरक्षक
इंगानप, स्टेज-II,
बीकानेर